**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं.1557**

**दिनांक 4 मार्च, 2020**

**असम में कच्चे तेल का उत्पादन**

**1557. श्री कामाख्या प्रसाद तासाः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम में कच्चे तेल का कुल उत्पादन कितना है;

(ख) असम में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कितने तेल का उत्पादन होता है;

(ग) ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा कितने तेल का उत्पादन होता है;

(घ) असम के उन तेल क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, जिनका निजीकरण हो चुका है; और

(ङ) तेल क्षेत्रों का निजीकरण क्यों किया जा रहा है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क)  से (ग) वर्ष 2018-19 के दौरान, असम में ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) द्वारा उत्पादित कच्चे तेल, मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) में, का विवरण निम्नलिखित है –

|  |  |
| --- | --- |
| कम्पनी | कच्चा तेल उत्पादन |
| ओएनजीसी (नामांकित) | 0.99 |
| ओआईएल (नामांकित) | 3.28 |
| निजी/संयुक्त उद्यम | 0.03 |
| कुल कच्चा तेल उत्पादन | 4.30 |

(घ) और (ङ) सरकार ने अगस्त 1992 और अक्टूबर 1993 में निजी क्षेत्रों को लघु/मध्यम आकार के और खोजे गए क्षेत्रों (ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा खोजे गए सिद्ध भंडार) के पेट्रोलियम खनन पट्टे (पीएमएल) का प्रस्ताव किया था। वर्ष 1993 में, असम राज्य सहित भारत के विभिन्न मध्यम और लघु आकार के तेल और गैस क्षेत्रों के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आईसीबी) के तहत सरकार ने बोलियाँ आमंत्रित की थीं। 29 प्री-एनईएलपी खोजे गए क्षेत्रों, जिनमें से एक असम में है, के लिए भारत सरकार ने 28 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए थे। असम में अमगुरी क्षेत्र के लिए भारत संघ, असम कंपनी लिमिटेड और जोशी टेक्नोलॉजीज़ इंटरनेशनल इंक यूएसए के बीच 25 वर्षों के लिए एक पीएससी पर दिनाँक 23.02.2001 को हस्ताक्षर किए गए।

नेशनल ऑयल कंपनियों और अन्य निजी कंपनियों द्वारा खोजे गए कई सीमांत क्षेत्रों को विभिन्न कारकों जैसे भंडारों के आकार, अनुमानित जीवन काल की तुलना में तेल की कीमत, विकास लागत, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, राजकोषीय व्यवस्था और प्रचालक द्वारा आंकलित कुल जोखिम के कारण विकसित नहीं किया जा सका। नेशनल ऑयल कंपनियों (एनओसीज) की उन गैर-मुद्रीकृत अमौद्रीकृत खोजों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए दिनाँक 25 मई 2016 को खोजे गए लघु क्षेत्र (डीएसएफ) नीति को लागू किया गया। डीएसएफ नीति के तहत अब तक, दो आईसीबी दौरों के माध्यम से संविदाकारों को असम राज्य में स्थित तेरह संविदा क्षेत्र प्रदान किए गए हैं। तेरह संविदा क्षेत्रों में से, ग्यारह निजी प्रचालकों को, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के परिसंघ को और एक पीएसयू को एकल आधार पर प्रदान किया गया है।

\*\*\*\*\*